# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ल संख्या : 15/207

छीतर लाल आत्मज स्व0 गणपत जी कीर जाति कहार निवासी ग्राम मैनोली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

## बनाम

1. कंवर लाल आत्मज श्री प्रभूलाल जाति कहा (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
   1/1. उर्मिला पत्नी स्व0 कंवर लाल जी ।
   1/2. रणजीत
   1/3. लोकेश नाबालिंग पुत्र स्व0 कंवर लाल जी जरिये वली माता उर्मिला पत्नी स्व0 कंवर लाल जाति कहार निवासीगण ग्राम पचीपला तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।
2. रामरूप आत्मज श्री गोबरी लाल जाति कहार निवासी ग्राम मैनोली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामचरण मीना, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

## निर्णय

दिनांक: 20.04.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.05.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र वास्ते नियुक्त करने रिसीवर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लोहली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में आराजी खसरा नम्बर 61 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नम्बर 62 रकबा 1.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 63 रकबा 0.30 हैक्टर कुल 03 किता की कुल रकबा 2.33 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि का प्रार्थी वैधानिक खातेदार काश्तकार है । उक्त भूमि से अप्रार्थीगण का कोई लेना–देना नहीं है । प्रार्थी उक्त भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है जिस पर अप्रार्थीगण ने जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर लिया है जिसका उसे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण की हैसियत एक अतिक्रमी की हैसियत से जिससे वह बेदखली का अधिकारी है ।

3. अतः प्रार्थी के हक में विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का आदेश ताफैसला फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजी पर तहसीलदार, के0 पाटन को रिसीवर नियुक्त किया जाकर उक्त भूमि के

काश्त की व्यवस्था तहसीलदार के0 पाटन द्वारा की जावे और विकल्प में विवादित भूमि पर 8000/– रूपये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष की दर से नगद प्रतिभूति राशि आरोपित की जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 07.05.2015 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.05.2015 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट का मुख्य रूप से यही कथन रहा है कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट मुनाफा काश्त कर काश्त करते थे किन्तु कुछ समय से रेस्पोडेन्ट ने मुनाफा देना बन्द कर दिया इस कारण अपीलान्ट को यह कार्यवाही करनी पडी है । वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट अनाधिकृत रूप से काश्त कर रहे हैं तथा अपीलान्ट राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज चला आ रहा है इस कारण अपीलान्ट के हितों के संरक्षण के लिये या तो वादग्रस्त आराजी पर रिसीवर नियुक्त किया जाना चाहिए या फिर रेस्पोडेन्ट से नगद प्रतिभूति राशि जमा कराने का आदेश दिया जाना चाहिए था जिससे अपीलान्ट के हित संरक्षित हो सकें । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.05.2015 निरस्त फरमाया जावे तथा वादग्रस्त आराजी पर तहसीलदार के0 पाटन को रिसीवर नियुक्त किया जावे तथा विकल्प में रेस्पोडेन्ट से नगद प्रतिभूति राशि जमा करवाई जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा है और एक कब्जेधारी व्यक्ति को बिना विधिक प्रकिया अपनाये कब्जे से बेदलखल नहीं किया जा सकता । रिसीवर की आड में रेस्पोडेन्ट को उसके कब्जे से बेदखल नहीं किया जा सकता । वादग्रस्त आराजी इनामिडियो नहीं है क्योंकि उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.05.2015 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि पर जिस पर रेस्पोडेन्ट काबिज है इस सम्बन्ध में अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

के विरूद्ध वाद भी प्रस्तुत किया हुआ है । वादग्रस्त आराजी इनमिडियो होना साबित नहीं है क्योंकि वर्तमान में उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट काबिज है जिसे अपीलान्ट ने भी स्वीकार किया है । रिसीवर नियुक्त करने के सम्बन्ध में माननीय उच्चतर न्यायालयों ने भी अभिमत दिये हैं कि जब तक कोई भूमि इनमिडियो नहीं हो तब तक उस पर रिसीवर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए । रिसीवर नियुक्ति एक कठोरत कार्यवाही जिससे आसानी से पारित नहीं करना चाहिए । इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया प्रकरण उसके पक्ष में होना साबित नहीं है।

10. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.05.2015 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 20.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा